न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./2022/470/टोंक

विभागीय अपील द्वारा श्री राजेश कुमार मीणा, पटवारी केरोद, तहसील उनियारा जिला टोंक विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक) के आदेश क्रमाक जांच/17 सीसीए/2022/1984 दिनांक 02.08.2022 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः— श्री राजेश कुमार मीणा, पटवारी, पटवार मण्डल केरोद, तहसील उनियारा जिला टोंक

निर्णय

दिनांकः— 17.01.2023

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक) के आदेश दिनांक 02.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांकः— भू.अ./17 सीसीए/2022/295 दिनांक 23.03.2022 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी पर निम्न आरोप लगाये गयेः—

1. यह कि आप द्वारा पटवार मण्डल कैरोद में पदस्थापित है। वित्त वर्ष 2021—22 समाप्ति की और होते हुये भी आप द्वारा बकाया व चालू वसूली की और विशेष ध्यान न देते हुये वसूली कार्य में घोर लापरवाही बरती है। जिसके लिए आप दोषारोपित है।
2. आप द्वारा आदिनांक तक अपने वृत्त की वसूली शुदा राशि नियमान्तर्गत राजकोष में जमा नहीं कराई गई है, जिस क्रम में आपको नायब तहसीलदार बनेठा व तहसीलदार उनियारा द्वारा वसूल शुदा राशि राजकोष में जमा कराने हेतु आदेशित किया जा चुका था। तदुपरान्त

भी आप द्वारा वसूलशुदा राजकीय राशि राजकोष में जमा नही कराकर राजकीय राजकोष को आर्थिक हानि पहुँचाई है। आपका यह कृत्य घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। जिसके लिए आप दोषारोपित हैं।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उस पर आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया गया। तहसीलदार व नायब तहसीलदार बनेठा की जॉच रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलार्थी द्वारा वसूली कार्य मे लगातार शिथिलता बरती जा रही थी। कार्मिक द्वारा अपने वृत्त की वसूली कार्य एवं राजकीय राशि को समय पर जमा नहीं करवाने में निरन्तर लापरवाही बरती है। अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी उनियारा के उक्त दण्डादेश दिनांक 02.08.2022 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी कार्मिक को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी उनियारा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर उपखण्ड अधिकारी उनियारा से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा अपीलार्थी पर आरोपित आरोप को सिद्ध मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी को दिनांक 23.03.2022 को आरोप पत्र दिया गया जबकि प्रार्थी ने वित्तिय वर्ष 2021–22 की समाप्ति से पूर्व ही बकाया वसूली पटवार मण्डल कुण्डेर मे 88 प्रतिशत एवं पटवार मण्डल केरोद मे 75 प्रतिशत कर दी थी एवं चालू वसूली पटवार मण्डल कुण्डेर व पटवार मण्डल केरोद मे 100 प्रतिशत कर दी है। प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि वसूल राशि नियमानुसार राजकोष म दिनांक 30.03.2022 को जमा करा दी है। राशि एक महिने से ज्यादा मेरे पास नही रही है। अतः प्रार्थी की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी उनियारा के दण्डादेश दिनांक 02.08.2022 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी को इतने वृहद दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः इस संबंध में अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप एवं इन आरोप के आधार पर दण्ड बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 02.08.2022 अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री राजेश कुमार मीणा, पटवारी, पटवार मण्डल केरोद, तहसील उनियारा जिला टोंक के विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक) की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक) द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 02.08.2022 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर